© Govt. of Haryana

No. 195-2019/Ext.] p.Mhx<+] cq/kokj] fnukad 20 uoEcj] 2019
(29 कार्तिक, 1941 शक)

fo/kk;h ifjf'k"V

Øekad	fo"k; oLrq	i`"B
PartI	अधिनियम dqN ugha	
PartII	v/;kns'k dqN ugha	
PartIII	प्रत्यायोजित विधान 1- अधिसूचना संख्या का0आ0 80/के0अ0 6/1974/धा0 64/2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019- 831-834हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019. 2- अधिसूचना संख्या का0आ0 81/के0अ0 14/1981/धा0 54/2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019- 835-836हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
PartIV	षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन dqN ughaA	

(xcix)

भाग -III

gfj;k.kk ljdkj

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

notification

fnukad 20 uoEcj] 2019

संख्या का०आ० 80/के०अ० 6/1974/धा० 64/2019 ः- जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्ष के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1978 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

1- (1) ये नियम हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संषोधन नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

2- हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1978 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"(ख) "राज्य बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड;"।

3- उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

**4- अध्यक्ष की योग्यताएं तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें-धारा 5 (9).- कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की
धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामांकित किए जाने के लिए तब तक पात्र
नहीं होगा जब तक वह,-

(K)किसी मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से सम्बन्धित विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या
पर्यावरण से सम्बन्धित किसी ष्िाक्षण में इंजीनियरिंग डिग्री नहीं रखता हो तथा औद्योगिक प्रदूषण
अल्पीकरण या अपष्िाष्ट जल उपचार या वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्रों सहित पर्यावरण संरक्षण से
सम्बन्धित विषेष ज्ञान तथा पन्द्रह वर्ष का अनुभव नहीं रखता हो तथा पच्चीस वर्ष की सरकारी/
अर्ध सरकारी सेवा नहीं की हो; या

(b)केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की सेवा में प्रधान सचिव रैंक तथा समकक्ष का अखिल भारतीय सेवा
का सदस्य नहीं है या नहीं रहा है, तथा पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने वाली सस्थाओं
में प्रषासनिक अनुभव नहीं रखता हो; या

(c)राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सेवा में नहीं है या नहीं रहा है तथा अध्यक्ष के रूप में नामांकन के
लिए खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखता हो ।

(2) (K) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार की सेवा में कोई सेवारत अधिकारी है तथा निरन्तर बना रहता है, सरकार के अधीन यथा अनुज्ञेय अपने स्वयं के वेतनमान मंे वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा;

(ख) अध्यक्ष के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति, जो सेवारत/सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी नहीं है, हरियाणा
सरकार में प्रधान सचिव के वेतनमान में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा;

(c) सरकारी सेवा में अध्यक्ष के रूप में नामांकित कोई सेवानिवृत व्यक्ति, हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव
को यथा अनुज्ञेय अन्य भत्तों सहित अन्तिम प्राप्त वेतन में से पंेषन घटाते हुए के समकक्ष वेतन प्राप्त
djsxk A

(3) अधिनियम की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति,-

(i) ftlus thfor ifr@iRuh okys O;fDr ls fookg dj fy;k gS ;k lafonk dj yh gS(
;k

(ii) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है या संविदा कर ली है,-

अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय

विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस
नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

(4) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उस तिथि, जिसको वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करता है, से
तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।"

4- उक्त नियमों में, नियम 4-क का लोप किया जाएगा।

5- उक्त नियमों में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"16. सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए षैक्षण्िाक तथा अन्य योग्यताएं, वेतन, भत्ते तथा पदाविधि (1).-

सरकार, केन्द्रीय या राज्य सरकार में अखिल भारतीय सेवा में सेवारत किसी अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या किसी

विष्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त या वैधानिक निकाय से किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तकर सकती है जो-

(i) dsUnzh; ljdkj ds osru eSfVªDl esa Lrj 13 d ds osrueku ;k jkT; ljdkj esa mlds led{k osrueku esa मूल संवर्ग या विभाग में, या केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 के वेतनमान में या राज्य सरकार मेंया मूल संवर्ग या विभाग में उसके समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर उस पर नियक्ति करने के बाद दिएगए ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित या केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 के वेतनमान में याराज्य सरकार में या मूल संवर्ग या विभाग में उसके समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर उस पर नियुक्तिdjus ds ckn fn, x, xzsM esa Ng o"kZ dh fu;fer lsok lfgr fu;fer vk/kkj ij in /kkj.k djrk gS(rFkk

(ii) पर्यावरण के सम्बन्ध में ज्ञान तथा अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विष्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री रखता हो ।

(2) सदस्य सचिव, हरियाणा सरकार के नियमों के अधीन अनुज्ञेय अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्तकरने का हकदार होगा।

(3) सदस्य सचिव, राज्य सरकार के अनुदेषों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर होगा।"।

6- उक्त नियमों में, नियम 23 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

(1.) अपील प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या तो किसी एकल व्यक्ति या तीन व्यक्तियों से मिलकर cusxk]&

(v) (i) एकल व्यक्ति प्राधिकरण की दषा में, अपील प्राधिकरण या तो सेवानिवृत्त जिला एवं न्यायाधीष; या प्रषासकीय सचिव, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग केन्द्रीय या किसीराज्य सरकार में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या रहा है, जो प्रधान सचिव या उसकेसमकक्ष पदवी का हो तथा पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने वाली संस्थाओं मेंप्रषासनिक अनुभव रखता हो से मिलकर बनेगा,

(ii) तीन सदस्यों की दषा में अपील प्राधिकरण उपरोक्त (i) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिसे अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, तथा सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गों में से नियुक्त सदस्य के रूप में किन्ही दो व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,- (K) ग्रुप-क सेवा की हैसियत के समकक्ष पर्यावरणीय प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रंह वर्ष का vuqHko j[kus

okyk oSKkfud(

(b)

किसी विख्यात विष्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग से व्यावसायिक/विषेषज्ञ, जो कम से कम प्रोफेसर के रैंक का हो;

(c) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के स्तर का सचिव/ निदेषक ;

(d) सेवारत/सेवानिवृत्त इंजीनियर, जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो;

(ड.) अभियोजन विभाग, हरियाणा से सेवारत/सेवानिवृत्त अपर निदेषक ;

(f)

lsokfuo`r ftyk@vij ftyk ,oa l= U;k;k/kh'k((six) वन या सिंचाई विभाग, का प्रषासकीय सचिव/सचिव ।

यदि अध्यक्ष कोई गैर-न्यायिक व्यक्ति है, तो दो सदस्यों में से एक सदस्य न्यायिक/अभियोजन क्षेत्र से होगा।

(आ) प्राधिकरण के अध्यक्ष को सरकार द्वारा प्रति मास एक लाख रुपये तथा सदस्य को प्रति मास पचास हजार रूपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा और सरकार ऐसी दर पर यात्रा भत्ते का भी भुगतानकरेगी जो सरकार के ग्रेड-Iअधिकारी को यथा अनुज्ञेय है।

(इ) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(ई) अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा/या सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा / करेंगे । (ii) उप-नियम (5) तथा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थपित किए जाएंगे, अर्थात्:-"(5) अधिनियम की धारा 28 के अधीन अपील दायर करने के लिए भुगतान योग्य फीस समय-समय परसरकार द्वारा, यथा विनिष्िचत होगी। यह फीस अपील दायर करने से पूर्व हरियाणा सरकार के पर्यावरण तथाजलवायु परिवर्तन विभाग में जमा करवाई जाएगी।

(6) अपील प्राधिकरण का मुख्यालय, सरकार द्वारा यथा विनिष्िचत या तो पंचकूला या चण्ड़ीगढ़ में होगा।सरकार, अपील प्राधिकरण के बैठने, आयोजन तथा कार्य तथा अन्य सचिवीय सेवाओं का प्रबन्ध भी करेगी ।"

धीरा खण्डेलवाल,
vij eq[; lfpo] gfj;k.kk ljdkj]
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन
विभाग।